रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112026-277969
CG-DL-E-17112026-277969

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 889] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2026/कार्तिक 26, 1948
No. 889] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2026/KARTIKA 26, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवंबर, 2026

सा.का.नि. 996(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (पुलिस सेवा) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 में, -

(1) नियम 2(ड) खंड के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् –

"ङ) किसी ग्रेड के संबंध में, 'अनुमोदित सेवा' से निम्नलिखित वर्ष की 1 जनवरी से, उस ग्रेड में की गई नियमित सेवा की वह अवधि या अवधियाँ अभिप्रेत हैं, जिसके अंतर्गत वह अवधि या अवधियां भी यही जिनके दौरान सेवा का कोई सदस्य उस ग्रेड में नियमित आधार पर पद धारण किए होता, यदि वह छुट्टी पर या अन्यथा ऐसे पद को धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं होता:

(क) उस वर्ष की, जिसमें उस श्रेणी में सीधे नियुक्त किए गए अधिकारी की बाबत परीक्षा हुई थी; और

(ख) उस वर्ष की, जिसमें उस ग्रेड में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी की नियमित आधार पर भर्ती की गई थी। ";

(2) अनुसूची-3 में, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् –

"टिप्पण: प्रोन्नति के लिए किसी अधिकारी की पात्रता निर्धारित करने की निर्णायक तारीख उस वर्ष की 1 जनवरी होगी जिसमें रिक्ति हुई है।"

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि 635 (अ), तारीख 6 अगस्त, 2003 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्या 403 (अ) तारीख 11 जून, 2009, सा.का.नि. 100 (अ), तारीख 25 जनवरी, 2018, सा.का.नि. 435 (अ), तारीख 08 जून, 2022 और सा.का.नि. 200 (अ), तारीख 23 मार्च, 2026 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधित किए गए थे।

[फा. सं. 14016/06/2023-यूटीएस-II**]**
पी. मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2026

G.S.R. 996(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, namely: -

1. (1) These rules may be called the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, -

(i) in rule 2, for clause (e), the following clause shall be substituted, namely: -

"(e) "Approved Service", in relation to any grade, means the period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods during which a member of the Service could have held a post on regular basis in that grade but for their being on leave or otherwise not being available to hold such posts, from the 1st day of January of the year –

(a) following the year in which the examination was held in respect of an officer appointed directly to that grade; and

(b) for which the recruitment was made on regular basis in respect of an officer appointed to that grade by promotion;";

(ii) in Schedule-III, the Note shall be substituted, namely: -

"The crucial date for determining the eligibility of an officer for promotion shall be the 1st January of the year in which the vacancy has occurred."

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i) *vide* number G.S.R.635(E), dated the 6th August, 2003 and subsequently amended vide number G.S.R.403(E), dated the 11th June, 2009, G.S.R.100(E), dated the 25th January, 2018, G.S.R. 435(E), dated the 8th June, 2022 and G.S.R. 200(E), dated the 23rd March, 2026.

[F.No. 14016/06/2023-UTS-II]

P. MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA